📆 कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फाक. / 1245, 1248, 1249, 1250 / विद्युत / 2024

कोरबा, दिनांक 07.10.2024

द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा छ.रा.वि.मंडल,एवं छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मंडल(विद्युत) में उचित श्रेणी में पंजीकृत/लाईसेंसी टेकेदारों से निम्नितिखत कार्यों हेतु शेड्यूल अनुसार आयटम दर पर मैन्युअल निविदा हेतु निविदा प्रपन्न फार्म–बी बेबसाईट से डाउनलोड कर त्रि–तिफाफा पद्वती के माध्यम सें मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है ।

र त्रि—तिकाका पहला के माध्यम से मुहरबंद निर्मायदार आमात्रल का जाला है।										
क	कार्य का नाम	प्राक्कलन	घरोहर	निविदा	कार्यावधि	ठेकेदार्	निविदा	निविदा दर		
		राशि	राशि	प्रपत्र का		का वर्ग	दस्तावेज	(भाग-ब) खुलने		
				मूल्य			(भाग-अ) खुलने	की तिथि		
	(निगम मद)						ं की तिथि			
							22.42.2224	24.10.2024		
1	कोरबा जोन अंतर्गत्	3,66,600/-	3,700/-	750 / -	12 माह	वर्ग	22.10.2024	24.10.2024		
	स्थापित स्ट्रीट लाईट					बी— ->0				
	व्यवस्था का संचालन					श्रेणी				
	/संघारण/ मरम्मत									
	कार्य।									
	(मरम्मत / संघारण मद)									
2	बालको जोन अंतर्गत्	3,66,600/-	3,700/-	750/-	12 माह	वर्ग	22.10.2024	24.10.2024		
-	स्थापित स्ट्रीट लाईट	0,00,000,	0,,			बी-				
	व्यवस्था का संचालन					श्रेणी				
		İ			ĺ					
	/संघारण/ मरम्मत									
	कार्य।									
	(मरम्मत / संघारण मद)				10 777	वर्ग	22.10.2024	24.10.2024		
3	दरीं जोन अंतर्गत् स्थापित	3,66,600/-	3,700/-	750/-	12 माह	वग बी—	22.10.2024	24.10.2024		
	स्ट्रीट लाईट व्यवस्था का					या— श्रेणी				
	संचालन / संधारण /					ત્રના				
	मरम्मत कार्य।									
	(मरम्मत / संघारण मद)									
4	सर्वमंगला नगर जोन	3,66,600/-	3,700/-	750/-	12 माह	वर्ग	22.10.2024	24.10.2024		
	अंतर्गत् स्थापित स्ट्रीट					बी—				
	लाईट व्यवस्था का					श्रेणी				
	संचालन / संधारण /									
	मरम्मत कार्य।									
	(मरम्मत / संघारण मद)									
	(नरनारा) राजारन नेप)		L		L					

शर्ते :-

- निविदा दरे मासिक /वािषक दर के आधार पर ही भरी जावे, अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- 2. निविदा के दस्तावेज हाथो—हाथ न लिया जाकर रिजस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस तथा साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा। निविदा, आयुक्त, नगर पालिक निगम आईटीआई चौक साकेत भवन, जिला—कोरबा (छ.ग.) पिन नं. 495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को 3.00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेंगी।
- 3 निविदा प्रपन्न नगर पालिक निगम कोरबा के बेबसाइड :www.korbamunicipal.in.एवं www.uad.cg.gov.in से डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपन्न Form- B (जारी दिनांक तक समस्त संशोधनो के साथ) निर्धारित निविदा प्रपन्न का शुल्क डी.डी. के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
- 4. निविदा प्रपत्र त्रि–लिफाफा पद्वति से मान्य किया जावेगा। जो निम्नानुसार होगा :--
 - अमानत राशि का वैघ FDR/TDR, निविदा प्रतिभागी शुल्क का DD एवं शपथ पत्र (निर्घारित प्रारूप में) की मूल प्रति लिफाफा में कार्य का नाम एवं अन्य विवरण अंकित कर केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से निविदा खुलने की तिथि में दोपहर 3.00 बजे तक आयुक्त,नगर पालिक निगम,कोरबा साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक रामपुर कोसाबाड़ी पिन— 495677 कोरबा को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
 - निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि निर्धारित प्रारूप में वैध शपथपत्र (राशि रू. 100/— नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प) निविदा आमंत्रण दिनांक के पश्चात का, निविदा कमांक एवं कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
 - अमानत राशि का FDR/TDR एवं निविदा प्रतिभागी शुल्क का DD जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम,कोरबा के नाम पर देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

व्रमशः....02

	जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य ना किया गया हो अथवा नगर पालिक
5	जिन ठेकदारा द्वारा नगर पालक नगन (ताडा) के किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं । निगम (साडा) के हित के विरूद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं ।
	निगम (साडा) के हित के विरूद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने का पित्रती नहीं। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन के साथ, उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिप, यदि साझेदारी फर्म हो तो निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन के साथ, उचित वर्ग में एंजीयन की प्रमाणित सूची, पिछले वित्तीय वर्ष का
6.	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को आवंदन के साथ, उन्धत वर्ग न पंजायन पत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को आवंदन के साथ, उन्धत वर्ग ने प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, पिछले वित्तीय वर्ष का उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, पिछले वित्तीय वर्ष का
	उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिप, पूर्व में इस प्रकार की किए गए पत्रीय का प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं राज्य कर्मचारी बीमा आयकर चुकता प्रमाण पत्र/पेन नम्बर पत्र एवं जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं राज्य कर्मचारी बीमा
	आयकर चुकता प्रमाण पत्र / पेन नम्बर पत्र एवं जी.एस.टा. की पंजीयन प्रमाण पत्र, पत्रपारा नाम के निवदा आमंत्रण सूचना पत्र के निगम रायपुर से पंजीयन एवं विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) हस्ताक्षरयुक्त निर्धारित प्रारूप में निविदा आमंत्रण सूचना पत्र के
	कंडिका क. 04 के अनुरूप लिफाफा (ए) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा
	कंडिका क. 04 के अनुरूप लिफाफा (ए) में प्रस्तुत करना अनिवाय हागा कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम,निविदा आमंत्रण सूचना कंमाक,निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा। कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम,निविदा आमंत्रण सूचना कंमाक,निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
7.	कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम,निविदा आमंत्रण सूचना कमाक,निविदा खुलन की तिथि एक ते ति तिथि प्रारंग करने में किसी प्रकार की निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लेंवें ताकि कार्य प्रारंग करने में किसी प्रकार की
8	निविद्याकार की यह द्यायत्व है कि व निविद्या निर्मान कर के
	कठिनाई न हो। निर्घारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिकांए स्वयमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
9	निर्घारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिकाए स्वयमेव लागू माना जावेगा एवं निविदा आनंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही निर्घारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही
10	निवदा दर का लिफाफा खोला जायेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
	निविदा दर की लिफीफी खोली जायेगी जनवा निविद्य होगा। ठेकेदार को अपनी दरें शब्दों एवं अंकों में लिखना अनिवार्य होगा।
11	ठेकेदार को अपनी दरें शब्दों एवं अंकों में लिखना अनिवाय होगा। शासन के विभिन्न विभागों जैसे:— खनिज विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय—समय पर जारी
12	शासन के विभिन्न विभाग जरान खानज विभाग, अने निर्माण, किया के विभाग किया के अन्तर्गत कार्यवाही की
	निर्देशो/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकदार की होगा। ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अन्तर्गत कार्यवाही की
13	ठकदार यदि कीय की अपूर्ण स्थित न ठावता है ता राजना है है
	जावेगी। कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध तत् समय में एमआइसी द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के
14	कार्य प्रारम नहीं करने अथवा अपूर्ण रियार ने ठाउँन पर निर्मात वार्ति । अधीन कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
	$\rightarrow \rightarrow $
15.	मरम्मत एवं संधारण मद के कार्य हेतु सम्पूर्ण किए गए परिया पर अर्पन प्रमुख सही स्थिति में होने पर वापस की जावेगी। जावेगी। जिसे कार्य पूर्णता दिनांक से 01 वर्ष पश्चात् किये गये कार्य सही स्थिति में होने पर वापस की जावेगी।
	जावेगी। जिसे कार्य पूर्णता दिनाक से 01 वर्ष पश्चीत् किय गय कीय सही स्थिति ने होने वर वार्ति कार्यों हेतु पृथक-पृथक से निविदा में सफल निविदकार को ऐसे कार्य जिसकी अनुबंध राशि रू. 10.00 लाख या उससे अधिक है,उनको प्रत्येक कार्यों हेतु पृथक-पृथक से निविदा में सफल निविदकार को ऐसे कार्य जिसकी अनुबंध राशि रू. 10.00 लाख या उससे अधिक है,उनको प्रत्येक कार्यों हेतु
16	निविदा में सफल निविदकार को ऐसे कार्य जिसकी अनुबंध राशि रू. 10.00 लोख या उससे आवर्ष ४,० १३० ग्रेस प्रति नियमों के तहत् छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तद्अंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत्
	छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकोर (नियोजन एवं सवी राती की पानिस्तान) जाजे के स्वयं से कटौती की जावेगी। पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
	पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप ने प्रतिशत प्रविधान करना अनिवार्य होगा। ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान निर्माण एवं अपशिश्ठ प्रबंधन नियम 2016 में किये गये प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
17	ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरीन निर्माण एवं अपोशिश्व अविभ निर्मा 2010 ने निर्मा जाने पर किया जावेगा। ठेकेदार द्वारा संपादित किये गए कार्यों के देयकों का भुगतान बजट आबंटन और राशि उपलब्ध होने पर किया जावेगा।
18.	ठेकेदार द्वारा संपादित कियं गए कार्या के देवका का मुगतान बजार जावेगा।
19.	विदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा। एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा। एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। उक्त कार्य में लगे श्रमिकों को विद्युत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, एवं किसी प्रकार से दुर्घटना होने की स्थिति में सम्पूर्ण
20.	उक्त कार्य में लगे श्रीमका का विद्युत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध परामा आम्बान उपल
	जिम्मेदारी आपकी होगी। निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधिनस्थ अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
21.	
22.	निविदा स्वीकृत करने अथवी अस्वीकृत करने का आध्कार नेनार जातिक गिर्म के निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी। निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि को सम्बन्ध के निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।
23.	निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) की निविदा सबया परिवर्धी की जारामा जार कार्या के 1. घरोहर राशि के रूप में एफ.डी.आर. /टी.डी.आर. पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे, जो आयुक्त,नगर पालिक निगम, कोरबा के
नोट:-	1. घराहर शारा के रूप न एक.डा.जार. / टा.डा.जार. १०००
	नाम पर देय हो। 2. उपरोक्त तिथियों में कोई तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्घारित तिथि समय एवं स्थान
	थ्र. अपराक्त तिविधा न प्राइ तिविधा का आप प्राप्त का अपराज्य माना जावे।
	भागा जाय।
	के कार्य के वार्य के विकास
प्रतिलि	पे :– प्रोग्रामर, संचानालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नवा रायपुर (छ.ग.) को Uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
7111111	प := प्राधानर, सपानासम् रास्त्र प्रसारा रूप
	कार्यमालम् अभियन्ता
	नगर पालिक निगम
	क्षिरंबा (छत्तीसगढ़)
तेकेद	ए के हस्ताक्षर
नम	
पूर्णपर	at —
मोबाइ	हिल नं

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA Abstract

Sub :- Operation, Repairing and Maintenance of Street Light
Arrangement Under Darri Zone

Item Rate

S. No	Item of Work	Unit	Rate	Qty	Amount
1	Electrical Operation/ Maintenance of Street Light at Main Roads, Under Various Wards and Over all Electrical Maintenance of Nagar Nigam Building Under Darri Zone The Details of Work to be done are As Follows:-	Job	F An	Per Month	mount
	(A) Under the Maintenance of Street Light system :- Repairing of Street Lights and its Relatted Equipements such as operating Pannel Junction Box Main Switch Cable fault etc. and Replacement the burnt/damaged Equipements, cable, etc. will be done by the contractor as per Requirement				•
	(B) Electrical Maintenance of Building:- it includes all over electrical Maintenance work, such as repairing of wiring, replicement of burnt/ damaged celling Fan & Lighting Equipements as per Requirement will be done by the contractor				
-	(C) Temprary Lighting arregment will be done by the Contractor in Various Events at Various Puplic Places from Time to Time Note: The New Electrical Materials if Required for The Work will be provide by the Corporation As per the Above Paragrapha				

Sub Engineer Municipal Corporation, Korba (C.G.) Assit Engineer
Municipal Corporation,
Korba (C.G.)

Executive Engineer

Municipal Corporation,

Korba (C.G.)

कार्य की प्रकृति, नियम एवं शर्ते:-

- स्ट्रीट लाईट की सप्लाई देने के लिए बिछाये गये अण्डर ग्राउण्ड आरमेड केबल सुधार, बदलने एवं बिछाने का कार्य भी ठेकेदार का होगा, यदि नई केबिल की आवश्यकता पड़ती है, तो वो निगम द्वारा प्रदान की जावेगी।
- 2 यदि रात में स्ट्रीट लाईट के सर्किट / कन्ट्रोल पैनल में खराबी आती है तो उसे रात में ही सुधारने की जबावदारी ठेकेदार की होगी, ताकि स्ट्रीट लाईट रात्रिकालिन बंद न हो।
- 3 ठेकेदार द्वारा मेंटेनेस कार्य में लगाये गये इलेक्ट्रीशियन के पास लाईसेंस (आई.टी.आई. प्रमाण पत्र) होना अनिवार्य है एवं हेल्पर जिसके पास विद्युत कार्य का अनुभव प्रमाण होना अनिवार्य है।
- 4 ठेकेदार द्वारा मेंटेनेस कार्य में रखे कर्मचारियों की आयु 18 से 35 होनी चाहिए। कम एवं अधिक उम्र के कर्मचारी नहीं रखे जा सकेगें।
- 5 ठेकेदार को छ.ग. में प्रचलित लेबर एक्ट तथा मजदूरी एक्ट की धाराओं एवं नियमों का पालन करना होगा एवं उसके लिए नगर निगम जिम्मेदार नही होगा। कांट्रेक्ट लेबर एक्ट 1960 व कांट्रेक्ट लेबर एक्ट 1969 के तहत नियमों का पालन करना होगा। कार्य अन्तर्गत रखे गये इलेक्ट्रीशियन / हेल्पर की सुरक्षा बीमा, चिकित्सा सुविधा बोनस, प्रोविडेन्ट फंड एवं किसी प्रकार के दुर्घटना एवं असामायिक मृत्यु इत्यादि होने पर समस्त जिम्मेदार ठेकेदार की होगी।
- 6 ठेकेदार को अपने कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा साधन जैसे सेफ्टी शूज, हेल्मेंट, रबर हैण्ड, ग्लोब्स, सेफ्टी बेल्ट, दिया जाना आवश्यक है। बिना सुरक्षा उपकरणों के सुधार कार्य की अनुमित प्रदान नहीं की जाएगी। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी कार्य के दौरान सुरक्षा साधन का इस्तेमाल करें अन्यथा ठेकेदार अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि कार्य के दौरान सुधार कर्मियों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते नहीं पाया गया तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं इसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
- 7 निदान—1100 से प्राप्त होने वाले शिकायतों का निराकरण प्राथिमकता के आधार पर 24 घण्टे के भीतर किया जाना आवश्यक है। यदि इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता एवं कमी पायी जायेगी तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

ठेकेदार द्वारा सुधार कार्य अन्तर्गत विद्युत खम्भे की एल.टी./11 के.व्ही. विद्युत लाईन को चालू बंद करने हेतु विद्युत मण्डल कार्यालय से संपर्क कर पूर्ण किया जाना हैं एवं कार्य से पूर्व अनुमति संबंधित विभाग के कार्य प्रभारी द्वारा लिया जाना आवश्यक है यदि ऐसा नहीं किया जाता तो दुर्घटना की स्थिति में इसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।

उप अभियंता नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.) सहायके अभियंता नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.) कायपालन अभियंता नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)